

260



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी निग-1785-I-16

दिनांक 4-6-16 का
प्रति काव. सं. सं. सं. सं.
काव. सं. सं. सं. सं.
52

1. धन्नुलाल पुत्र आनंदीलाल
 2. खिलन पुत्र आनंदीलाल
 3. हरिसिंह पुत्र आनंदीलाल
 4. कामता प्रसाद पुत्र बोरा उर्फ गोरा
 5. कमर लाल पुत्र बोरा उर्फ गोरा
- निवासीगण - ग्राम खेजडाहाली तहसील
सिरोंज जिला विदिशा म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. धन्नू पुत्र मेहताब बंजारा
निवासी ग्राम खेजडाहाली तहसील
सिरोंज जिला विदिशा
2. बाबूलाल पुत्र गेंदा हरिजन
निवासी ग्राम खेजडाहाली तहसील
सिरोंज जिला विदिशा
3. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/ अपील/ 2004- 05 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2005 के विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से समयावधि में प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,



आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1785-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	